



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

[www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.8(99)RSSB/प.आ./संग. सी.भ.प. /2023/ १४

दिनांक: ०८/२/२०२५

## विज्ञापित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 05/2023 क्रमांक 2232 दिनांक: 07.07.2023 के द्वारा संगणक सीधी भर्ती परीक्षा, 2023 एवं विज्ञापन संख्या 11/2022 क्रमांक 1027 दिनांक 01.11.2022 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) भर्ती परीक्षा-2022 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) भर्ती परीक्षा-2022 दिनांक 19.02.2023 को पूर्व में आयोजित की गई थी किन्तु यह परीक्षा निरस्त हो जाने के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा प्रेस विज्ञापित क्रमांक 829 दिनांक 29.12.2023 द्वारा इस परीक्षा को पुनः 03.03.2024 को आयोजित करने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया था।

उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा:-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	परीक्षा का समय
1.	संगणक सीधी भर्ती परीक्षा, 2023	03.03.2024 (Morning)	प्रातः 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) भर्ती परीक्षा-2022 (पुनः आयोजन)	03.03.2024 (Evening)	अपरान्ह: 03:00 बजे से सांय 04:30 बजे तक

अतः उपरोक्त परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:-

- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञापितियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
- परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पाँच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पाँचवा विकल्प/गोला 'E' 'अनुत्तरित प्रश्न' से संबंधित होगा।
- अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात् पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पाँचवा विकल्प/गोले 'E' को गहरा करना होगा।
- यदि पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिये जायेंगे।
- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे।
- उक्त परीक्षा के लिए "प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड करने की दिनांक के लिए अलग से यथासमय सूचित कर दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
- परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित विज्ञापित द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

चेतावनी : - परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

(मेजर जनरल आलोक राज)

अध्यक्ष